

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 210/2018

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोजेन्ट

गोविन्दराम पुत्र नेनूराम जाति कुम्हार

तहसीलदार नागौर।

निवासी मालगांव तहसील व

जिला नागौर।

उपस्थिति

1. श्री भगवान सिंह राठौड अपीलांत की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:07.08.19

[1]-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 36/2018 सरकार बनाम गोविन्दराम में निर्णय दिनांक 28.05.18 के तहत मौजा मालगांव के खसरा नं. 197 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.09.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 17.09.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांत द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 36/18 सरकार बनाम गोविन्दराम में पारित निर्णय दिनांक 28.05.18 की फोटोप्रति, ग्राम मालगांव की मिसल बंदोबस्त की फोटोप्रति तथा ग्राम मालगांव की खतोनी संवत 2007 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोजेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांत को नोटिस मिलने पर तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हस्तगत भूमि मौके पर कभी गोचर नहीं रही, इसलिये अपीलांत का किसी भी गोचर भूमि पर कोई कब्जा नहीं है बल्कि जागीरदार द्वारा अपीलांत सहित अन्य लोगों के निवास के लिये आबादी के चिपती ही दी गयी उक्त भूमि पर पीढियों से कब्जा, निवास उपयोग उपभोग रहता चला आया है व खसरा नं. 197 के साबिका खसरा नं. 174 मिन में संवत 2020 में गलत ढंग से गोचर किस्म भूलवश दर्ज हो रखी है। जिस पर तहसील कार्यालय में अपीलांत के हस्ताक्षर करवा कर यही कहा गया कि कार्यवाही हाजा झोप कर दी जायेगी वापस आने की जरूरत नहीं है चूंकि चारों तरफ सैकड़ों मकानात हैं उसका भी पुराना मकान है इसलिये उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दिये जाने के विश्वास में रहा। मगर ऐसा नहीं हुआ और तहसीलदार ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना पटवारी हल्का के सशपथ बयान करवाये उसी दिन दिनांक 28.05.18 को अपीलांत की पीठ पीछे निर्णय पारित करते हुए बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया, जिसकी कोई जानकारी अपीलांत को नहीं रही, हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आया व अपीलांत को पुराने रहवासी मकान से बेदखल करने का निर्णय होने बाबत बताया तब अपीलांत तुरंत तहसील कार्यालय में जाकर नकल का आवेदन पेश किया। जिस पर दिनांक 06.09.18 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी हुई तत्पश्चात दिनांक 7.8.18 को कानूनी राय लेकर अपील तैयार करवायी गई। दिनांक 10.09.18 को अपील पेश की गई। जिससे देरी माफ कर अपील तारीख जानकारी से अंदर मियाद शुमार करना न्यायोचित है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रुख अपनाते हुए अपीलांत की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांत ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](I)-अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरुद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत हाने से निरस्तनीय है।

[2](II)-चूंकि अपीलांत के विरुद्ध इकतरफा में निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जिसकी अपीलांत को कोई जानकारी नहीं रही थी, अपीलांत के सामने न तो कभी कोई पटवारी हल्का मौका निरीक्षण करने आया न अपीलांत के सामने निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया न मौका निरीक्षण करवाया गया न भूमि की गलत दर्ज किस्म बाबत कोई जांच की गयी मात्र रेकर्ड में राजस्व व सेटलमेंट कर्मचारियों की गलत से किस्म गलत दर्ज हो रखी होने की आड में कदीमी पीढियों पुरानी आबादी बसी भूमि पर बने अपीलांत को





अपर कलक्टर, नागौर

मकान को गोचर भूमि में मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। जबकि मामला मात्र रेकर्ड का अवलोकन कर गलत दर्ज किस्म गोचर को दुरुस्त करने व पुरानी कब्जे को नियमन करने का मामला था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए बिना किसी अर्जेन्सी के आनन फानन में दूसरी पेशी पर ही बिना पटवारी के सशपथ बयान करवाये, बिना अपीलांट को पटवारी से जिरह का अवसर दिये जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। तत्कालीन तहसीलदार ने अनियमितता बरतते हुए सारी गैर कानूनी कार्यवाही की है। तहसीलदार ने बिना किसी आधार के मात्र खानापूती करते हुए दूसरी पेशी पर ही जवाब लेना बताया जा रहा है व उसी दिन निर्णय कर दिया गया जो कतई विधि सम्मत नहीं है विधि के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है निरंकुश निर्णय पारित हुआ है। इन परिस्थितियों में निर्णय जैर अपील विधि सम्मत व बोलता हुआ निर्णय नहीं है अपास्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है व उक्त खसरा की किस्म भूमि अंगोर गलत दर्ज हो रखी है। जिसे पूर्व की भांति दुरुस्त कर उक्त भूमि अपीलांट के नियमन योग्य होने से नियमन किये जाने का निवेदन किया है। वकील अपीलांट द्वारा राजस्व ग्रुप-6 विभाग के परिपत्र दिनांक 11.1.2000 की ओर ध्यान दिलाया तथा तर्क दिया कि आराजी भूमि पर उनके मकान बाड़े इत्यादि बने हुए हैं तथा 01.01.2000 से पूर्व में मकान बाड़ो हेतु किये गये अतिक्रमण को नियमन किया जाना चाहिये। आराजी भूमि की किस्म गोचर है। जो इस परिपत्र के तहत वर्जित भी नहीं है। इसके अलावा खतोनी संवत् 2006 में आराजी भूमि बरानी अवल दर्ज हुई है। जिसको गोचर दर्ज करने का किसी को अधिकार नहीं होते हुए भी गलत रूप से गोचर दर्ज किया गया है। इसलिये नियमन हेतु निर्देश दिये जाने चाहिये।

{2}(III)-अपीलांट के मकान के आस पास चारों तरफ आबादी बसी हुई है सैकड़ों मकान बने हुए हैं पटवारी हल्का ने मनमर्जी से मात्र 8-10 व्यक्तियों के खिलाफ गोचर पर अतिक्रमण की सरासर झूठी रिपोर्ट कर दी, जबकि खसरा नं. 197 गोचर गलत दर्ज हो रखा है जिसकी पूर्व में अपीलांट वगैरा को कोई जानकारी नहीं हो सकी थी, चूंकि इस खसरा नं. 197 के पुराने खसरा नं. 174 मिन मौजा मालगांव जागीरदार भोजराजसिंह पुत्र नरसिंह राजपूत के अलावा काबिल काश्त भूमि दर्ज रही है जो संवत् 2006 से 2020 तक दर्ज रही तथा उस दौरान जागीरदार ने अपीलांट के पूर्वजों को रहने के लिये उक्त भूमि दे दी थी जिस पर उनके कदीमी मकानात बने हुए हैं व पुराने समय से यानि पीढियों से निवास करते आ रहे हैं मौके पर लोगों के मकान, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े बने हुए हैं घरों में विद्युत आदि के कनेक्शन लिये हुए हैं तथा इस मकान के अलावा अपीलांट के परिवार वालों के निवास का अन्य कोई मकान व जायगा नहीं है इसलिये तहसीलदार को सारी स्थिति स्पष्ट करने पर एक बार तो उन्होंने कार्यवाही झोप करने का कह कर अपीलांट को भेज दिया बाद में एकाएक उसी दिन की तारीख अंकित करते हुए मनमर्जी से एक ही तरह के 8-10 व्यक्तियों के विरुद्ध सरासर गलत तथ्य दर्ज करते हुए निर्णय बेदखली व जुर्माने के पारित कर दिये गये व उसकी आड में पटवारी हल्का वगैरा अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है जो कतई विधि सम्मत नहीं है भूमि कतई गोचर नहीं है न कभी गोचर रही न आज दिन है गोचर के रूप में काम आई है मात्र संवत् 2020 में सेटलमेंट कर्मचारियों की भूल या लापरवाही से गोचर किस्म दर्ज कर दी है जिसका खामियाजा अपीलांट वगैरा को अब भुगतना पड़ रहा है यदि अपीलांट को इस विधि विरुद्ध निर्णय की आड में बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट के परिवार को अपूर्ण क्षति होगी, निवास करना दुभर हो जावेगा, विधिक अधिकारों पर भारी कुटाराघात होगा, जबकि मौके की स्थिति को देखने से स्पष्ट है कि मौके पर संवत् 2020 से पुराने समय के मकानात बने हुए हैं। वैसी सूरत में संवत् 2075 में अतिक्रमण कर मकान बनाना कतई माने जाने योग्य नहीं है मौका निरीक्षण करने मात्र से पटवारी की उक्त रिपोर्ट व नया अतिक्रमण करने का कथन अपने आप में झूठा साबित हो जाता है इन परिस्थितियों में निर्णय जैर अपील अपास्त किया जाकर मौका निरीक्षण तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम से करवाया जाकर भूमि की किस्म गोचर दुरुस्त करवा कर मौके पर काबिज पुराने मकानात वालों के नाम भूमि नियमन करने की उचित कार्यवाही करने के आदेश के साथ पत्रावली रिमाण्ड की जाना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक व न्याय संगत है।

{2}(IV)-अपीलांट का कोई नया कब्जा या अतिक्रमण नहीं है पीढियों पुराना कब्जा है कभी किसी की शिकायत नहीं रही है न गोचर के संबंध में कभी किसी की शिकायत नहीं रही है न गोचर के संबंध में कभी राजस्व कर्मचारियों ने ऐसी कोई आपत्ति पचासों वर्षों में कभी की थी। हाल ही में गांव मालगांव से




अपर कलक्टर, नागौर

सामोलाई नाडी भैरुजी के मंदिर तक आने जाने के कटाणी रास्ते का उम्मेदाराम कुम्हार, हरदीनाराम, थानाराम जाट वगैरा ने आम रास्ता पर अवरोध करने पर उनके विरुद्ध एसडीओ नागौर के समक्ष ग्रामवासियों के साथ अपीलान्ट ने भी शिकायत की जिससे नाराज होकर उक्त लोगो ने पटवारी हल्का को अपने अनुचित दबाव व प्रभाव में लेकर एकाएक अपीलान्ट सहित 8-10 परिवारो को नाजायज तंग परेशान करने व दबाव बनाने के लिये मिथ्या रिपोर्ट अतिक्रमण बाबत अपीलान्ट के विरुद्ध ही तहसीलदार के समक्ष पेश करवा दी व उसमें आगे कोई विधि सम्मत कार्यवाही नहीं हो इसलिये तहसीलदार से आनन फानन में यह निर्णय पारित करवा दिया जबकि सारी स्थिति तहसीलदार के समक्ष आने के बावजूद पटवारी के बयान नहीं करवाये व बिना किसी अर्जेन्सी के निर्णय पारित कर दिया यदि पटवारी के बयान करवाये जाते, अपीलान्ट को पटवारी से जिरह का अवसर दिया जाता व अन्य साक्ष्य सबूत अपीलान्ट को पेश करने का अवसर दिया जाता व तहसीलदार स्वयं अपने स्तर पर मौका निरीक्षण करते तो ऐसा निर्णय कतई पारित नहीं हो सकता था मगर ऐसी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही निर्णय पारित किया है। जो विधि सम्मत नहीं है अपास्त किये जाने योग्य है।


[3]-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि आराजी भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा मौजा मालगांव में स्थित गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट उपस्थित भी हुआ है तथा उसके द्वारा जवाब भी पेश किया गया है। अपीलान्तीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मालगांव के खसरा नंबर 197 रकबा 0.03 बीघा गोचर भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जवाबदेही भी प्रस्तुत की है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जहां तक परिपत्र दिनांक 11.1.2000 के तहत अतिक्रमण के नियमन किये जाने का प्रश्न है, यह कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही है। जिसके लिये अपीलान्ट सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। यहां यही देखा जाना है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही की गई अथवा नहीं। आराजी भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना बखूबी साबित है तथा गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमणो को हटाये जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्देश भी जारी किये गये हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसी भूमियों को नियमन किये जाने पर एतराज किया गया है। गोचर भूमि सार्वजनिक भूमि है। जिस पर अतिक्रमण किया जाना रिकार्ड से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

[6]- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर